

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य मूल्य प्रबंध संस्थान परिषद, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दरमान नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(120)RSSB / अर्थना / ICDS / पर्यावरण / आंगनबाड़ी / 2023 / 2126 दिनांक : 13.02.2024

विज्ञापन संख्या 03/2024

—:: पर्यावरण (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) सीधी भर्ती—2024::—

समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-1998 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों डेटु बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपञ्च में ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आवंत्रित किये जाते हैं, इन पदों पर कोवल ये महिला अध्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं, जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है।

पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
पर्यावरण (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता)	175	27	202

अध्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :-

(1) Online Application Form में समस्त बाहित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1. **ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:**—बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form द्वारा जारी जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-प्रिव्यापन कियोरक / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अध्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> अथवा <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अध्यर्थी Apply Now पर विलक्षण करेगा। यदि अध्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकावारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अध्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विचरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अध्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अध्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को राख्यानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अध्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह (visible mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के द्वितीय उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान योग्य आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा :-

i. आधार कार्ड आधारित सत्यापन—

- यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जनरेट करता है, तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि OTR (One Time Registration) SSO / जन-आधार के माध्यम से जनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा:-
 - आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जावेगा।

ii. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी।

घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम, और जन्मतिथि (प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेगा:-

- मूल प्रमाण पत्र विकल्प:-उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र का छान्दोक दर्ज करेगा उसके पश्चात Fetch बटन पर विलक्षण करने पर डोनिसाइल / बोनाफाईड प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र) को डाटा से सत्यापित किया जाएगा।

II. डिजिलॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प :—उन्मीदवार अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नं। व उत्तीर्ण वर्ष दर्ज कर रखें सत्यापित करेंगा।

III. यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी—“मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपरित छोड़ूँगा/होऊँगी”।

उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात् उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा।आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ, प्रदर्शित रहेगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा।अन्य राखी सूचनाएँ अन्यथा को साक्षात् पूर्वक भरनी होगी।इ—मित्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन में वी गई गलती को आवेदक की गलती माना जायेगा।आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अन्यथा का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा।अन्यथा को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का ग्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।

2. अन्यथा एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
3. अन्यथा एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लिये रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी रखने अन्यथा यी होगी।
4. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल आईडी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल आईडी पर ही भेजी जाती है।आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
6. अन्यथाओं द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। इ—मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
8. अन्यथा द्विना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टौल फ़ी नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा है।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अन्यथा पर निधानानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
10. समस्त राज्याएँ बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in एवं rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी को लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

2. एकबारीय पंजीयन शुल्क—कार्यिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अन्यथाओं को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निधानानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोरेक्य या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।

- (क) सामान्य वर्ग व कीमीलेवर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रुपये 600/-
 (ख) राजस्थान के नॉन कीमलेवर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रुपये 400/-
 (ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु—रुपये 400/-

नोट—

1. राजस्थान राज्य से मिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अन्यथाओं को सामान्य वर्ग का अन्यथा माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अन्यथाओं के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा द्युके अन्यथाओं से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

3. पर्यवेक्षक (महिला)(आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है—

(क) गैर—अनुसूचित क्षेत्र

क्रम सं	वार्षिक			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अति पिछड़ा वर्ग			आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग			सामान्य की महारिया जनजाति		
	प्रथम	द्वितीय	तीसरी	प्रथम	द्वितीय	तीसरी	प्रथम	द्वितीय	तीसरी	प्रथम	द्वितीय	तीसरी	प्रथम	द्वितीय	तीसरी	प्रथम	द्वितीय	तीसरी	प्रथम	द्वितीय	तीसरी
175	51	4	1	23	1	—	30	2	—	30	2	—	7	—	—	14	1	—	3	—	—

नोट:- गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिलाके 19 एवं विवाहका पद बैंकलोंग के हैं, जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में शामिल हैं।

क्षेत्रिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)											
दिव्यांगजन				भूतपूर्व सीनिक							
B/LV	HII	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	SAH	
2	2	1	1	7	3	4	4	-	1	-	3

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			उत्कृष्ट खिलाड़ी	
	सामान्य	हिन्दू	मुस्लिम	बौद्ध	हिन्दू	मुस्लिम	परिवर्ती	सामान्य	हिन्दू	मुस्लिम	
27	12	1	0	1	0	0	12	1	0	0	

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 2पद बैंकलोंग के हैं, जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में शामिल हैं।

क्षेत्रिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)							
विशेष योग्यता				भूतपूर्व सीनिक			उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/L V	HII	LD/ CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	GEN	SC	ST	
1	0	0	0	1	-	1	0

नोट:-

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की विधियों के विळम्ब अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अध्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अध्यर्थी को इस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा विन्स क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अध्यर्थी वह अतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त विकल्पों के लिये केवल शाजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के रथानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट लिख रखें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला, भूतपूर्व सीनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सुधारा-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग के अध्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग की अविसूचिता दिनांक 17.01.2013के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अध्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्यर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अप्रीनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अप्रीनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगति नहीं दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आवश्यक रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं होता और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथार्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्यर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

- राजस्थान के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

4. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हैतिज (Horizontal) प्रदर्शन-नुसार (Category wise) होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी दे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समावयोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण— दिवाहित महिला आवेदक लो अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिता के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
5. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न नहिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अन्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अन्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पिता की मृत्यु का प्रमाण—पत्र एवं परित्यक्ता नहिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्टी प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्टी इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम लिखित तक का प्रस्तुत करना होगा।
6. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विभि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध घयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य दियायत का लाभ नहीं उठाया है।
9. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्यर्थीयों को सामान्य वर्ग का लाभ जायेगा।
10. बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित वाँलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बारां जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
11. भूतपूर्व सैनिकों हेतु—
 (अ) भूतपूर्व सैनिकों को आक्रियों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
 (ब) भूतपूर्व सैनिक —
 (1) प्रतिरक्षा (ध्ल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
 (2) प्रतिरक्षा रोपा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये आईक बना दें। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रबन्धित होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तिया व्यक्ति हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 यथा संसोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के भंडर्म में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उगत अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
 "कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/ गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/ रही है पर उसने सहान प्राधिकारी से निराकोप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, वह के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/ होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराकोप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/ करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/ जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किरी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।"
 "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्जित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिकियो की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तलप्रस्थात ऐसी रिकियो खापगत (Lapse) हो जायेगी।

किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रारिथित (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही गाना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाग प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समझा जायेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुमत भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक का, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद पर प्रियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक/संविदा/अस्थाई/तादर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के पात्रदे से विवृजित नहीं किया जायेगा।

12. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु— उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिकियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आवृत्ति पदों का आरक्षण शीतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आवृत्ति पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिकिय पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में कोवल वे ही अन्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए—।।/84 दिनांक 21—11—2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अन्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आवृत्ति पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान—कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए—।।/84 दिनांक 21—11—2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभियेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल नियाची हैं और जिन्होंने—

1. उक्त सारणी के स्तरम संख्याएँ 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तरम संख्याएँ 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय दूर्नामिट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	दूर्नामिट / चैम्पियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (प्रीज़कालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमन्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमन्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैम्पियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय रकूल खेल परिसंघ(आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय रकूल गेम्स/चैम्पियनशिप
8	एशियन रकूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन रकूल गेम्स/चैम्पियनशिप

- या
2. रकूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित विस्तीर्ण खेलकूद के प्रियो रकूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;
3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित विस्तीर्ण खेलकूद के किसी राष्ट्रीय दूर्नामिट/चैम्पियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटररेन्युनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;
 5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फॉडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैम्पियनशिप/पैरा नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"
- नोट— कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी ये ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-हृद्भूकर विना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।

13. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-

- a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ देय है:—
 - i. B/LV (Blindness/ Low vision)
 - ii. HI(Hearing Impairment)
 - iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
 - iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
 - v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf-blindness in the posts indentified for each disabilities.
- b. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक लाप से कमज़ोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- c. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जड़ा किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचारक दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के बारें या किसी अन्य कारण से नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेशित वीं जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचारक दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) करें भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकता है।
- d. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथारथान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजनप्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।
- e. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, उपर्युक्त दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्पाई दिव्यांगजन प्रमाण—पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रशंसनीय योग्यता होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- f. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(8) में किए गए प्रायव्यान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रस्तुत पत्र में न्यूनतम अहंक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।"

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :—

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अनिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी हैं और यो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-2) विभाग की अविसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और यह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।

3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनरथ, मंत्रालयिक एवं पत्रुद्य श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनरथ) सेवा नियम-2017यथा संशोधित योग्य प्रावधान लागू होंगे।

4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संरक्षा एक. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के रूप में कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र रूपांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं व्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वी अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की बैबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विच्छिन्न (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिशित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को व्यायाम में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:-अनुसूचित क्षेत्र के अन्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशन, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जाना करने एवं ऑनलाईन आवेदन मरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संक्षीप्त प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान व्यायाम लागू होंगे।

5. वेतनमान:-राज्य सरकार द्वारा देय सारांश वेतन आयोग के अनुसार पर्याप्तक (महिला) (आंगनवाड़ी कार्यकारी) का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-07 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आवेदानानुसार देय होगा।

अन्य शर्तें :-

(1.)सीधी नहीं द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षार्थी (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भित किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

(2.)सीधी नहीं द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन शृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भर्ती यथा मकान किशाया भत्ता, गंहनाई भत्ता, शडी भत्तापूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन शृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भर्ते नियमानुसार देय होगे व स्थाईकरण का पात्र होगा।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

(i) Graduate of a University established by law in India, with 10 Years Experience as Anganwadi worker in ICDS
AND

(ii) Having one of the following or higher qualification in Computer Education :-

"O" or Higher Level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

OR

Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi.

OR

Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Date Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under National/State council or Vocational Training Scheme.

OR

Degree/Diploma/Certificate in computer Science/Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government.

OR

Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with the computer Science/Computer Application as one of the subjects.

OR

Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.

Or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited".

Provided that in case any Anganwadi worker is not having any of the above qualification in computer education, she has to qualify the same and shall have to submit the required certificate within a period of one year from date of recruitment, failing which the recruitment to the post of supervisor shall be deemed to be null & void.

(iii) दैवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आवश्यक नोट:-

- परन्तु ऐसा व्यविता, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका/चुकी है या उपस्थित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे—
 - जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दो प्रकारों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व,
 - जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,
 - जहाँ अयन केवल लिखित परीक्षा या यथारिति, योवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,
 समुचित चयन ऐजेन्सी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा की तिथी से पूर्व तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
 - स्पष्टीकरण—यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपमोग कर सकें, जो आवेदक आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वाइक्षित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वाइक्षित योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।
- 2 अंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक का नाम्य/स्वीकार किया जायेगा।

अन्य योग्यताएँ :-

- (1) स्वास्थ्य—पर्यावरक (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार जच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किरी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पर्यावरक (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह व्यानित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आशेयता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य विकास एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- (2) चरित्र—सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह पर्यावरक (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, रक्षा या कौलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रबानाथार्य/शिक्षा अधिकारी कोडारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा और वो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन—पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी वो रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

7. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
 - (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
 - (घ) ऐसातिक्ती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
 - (ङ.) भारतीय मूल का व्यापिता ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, यमन, श्रीलंका, पूर्वी अफ़्रीकी देश कीनिया, पुरान्दा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालदीव, चैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
- नोट—परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता या वाइक्षित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आयु—विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आगे वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्राक्काल अनुसार आवेदक दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार “जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।”
- स्पष्टीकरण—बोर्ड द्वारा पूर्व में पर्यावरक (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) भर्ती—2018 में आयु की गणना 01.01.2019 को नहीं थी, इसके बाद भर्ती नहीं होने वो कारण समरत आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की अंतिरिक्ता छूट देय होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निमानुसार और देय होगी—“The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024.”

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी—

1. अधिकतम आयु सीमा में—
 - (क) सामान्य वर्ष की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से गमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान की मूल निवासी है, वो मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा याहै वे विनाग के समवायाखिरी उपरिधिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे।
- आयोग के कार्य-क्षेत्र के गोतार न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की, जिनकी रिक्ति के अभाव में या पद की सामाजिक के कारण राज्य सरकार की सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि वे उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रधमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकाराम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य विहित माध्यमों की सम्यक् रूप से अनुपालना कर ली जाये और अहला, चरित्र, विकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो जौर वे अतिम नियुक्ति प्राप्तिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।
- राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों/पंचायत समिति और जिला परिषद, राज्य सरकार के उपक्रम/कांस्टिट्युशन के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिकारी (Substantive) हैं विनाग से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जन्ट अस्थाई नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
- उपर विहित उपरी आयु सीमा में सामान्य प्रवर्ग के आगनवाडी कार्यकर्ताओं के 10 वर्ष वीं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य विछुना वर्गों के आगनवाडी कार्यकर्ताओं को 15 वर्ष वीं विधिलता दी जायेगी, जो पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अन्यथा पात्र है।
- विवाहों और विवाह-विहिन महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी विन्तु राज्य सरकार द्वारा निरिचित की गई सेवानियूक्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरण:- विवाह महिला के मामले में उसे किसी रक्षाम प्राप्तिकारी का अपने पति की भूत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विहिन महिला के मामले में विवाह विच्छेद या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के गामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकाराम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में वीं गई सेवा की कालायति ये बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकाराम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा नहीं होगी विन्तु राज्य सरकार द्वारा निरिचित की गई सेवानियूक्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
- रिजर्वर्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकाराम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेनिकों का आमेलन) नियम, 1968 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष वीं आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य ड्रेस/वीर घड़ या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता घारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिविल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सेनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट/II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर वैद्यनार्क निःशक्ताजन अध्यक्षियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष वीं छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:-

- (क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकाराम आयु सीमा में छूट दी जाएगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अतिम दिनांक तक राजस्थाई कर्मचारी वीं श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकारायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट वीं अधिक जानकारी के लिये राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-1998 व्यापक संशोधित एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी सांशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त विन्तु 8 की क.सं. 1 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अध्यक्षियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 9 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान वर्ग अधिकाराम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

- पेशन—नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेशन यौजना लागू होगी।

- विवाह पंजीयन—शासन के परिपत्र कमांक प.6(19) मृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। सत्त्वान्वन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

- पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि—

- (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निवारित ई-मित्र कियोत्त्व, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम, कम डेबिट कार्ड एवं ब्रोडबैट कार्ड के माध्यम से दिनांक 21.02.2024 से दिनांक 21.03.2024 की तारी 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 21.02.2024 से दिनांक 21.03.2024 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निषिक्षिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन वीर अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के नीतार ऑनलाईन आवेदन करें।

12. परीक्षा आयोजन :- परीक्षक (महिला)/(आगंनबाड़ी कार्यकर्ता) के पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) /टेबलेट आधारित परीक्षा (TBT)/ऑफलाईन (ओ.एम.आर) आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं ब्रेस विज़ाप्टि के माध्यम से अलग से दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

13. प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समरत अन्यर्थियों को बोर्ड वीर वेबसाईट के माध्यम से ही आर्नेलाईन प्रवेश-पत्र प्राप्ति किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं SSO ID ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं Whatsapp मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :-सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपकरणों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सुचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पत्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छुट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष संविवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पत्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छुट दीजा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) कार्यक्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अन्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पत्र नहीं होगा परन्तु
 - i. दो से अधिक संतान वाला अन्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।
 - ii. जहां किसी अन्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
 - iii. किसी अन्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चयता से ग्रस्त हो।
 - iv. कोई अन्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरहित नहीं है, उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
 - v. इस उप-नियम के उपर्युक्त किसी विधवा और विविधन-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्वान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या काट-छाट गिरे हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या गहरायी सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को कौजादारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई लप से या राजस्वान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16.आवेदन कैसे करें:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट— राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की ग्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नौन कीमीलेयर)/आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग यों अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:-

1. आवेदकों को हिचायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अव्ययन कर लें।
 2. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह चुनिएचत कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त जरूर पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की रिप्टियों में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/जाति पिछड़ा वर्ग के अन्यार्थियों का Online Application Form प्रस्तुत(Submit)करते समय अपने वर्ग का रूपरूप उल्लेख निर्दिष्ट कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यार्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो उस विशेष का लाभ विज्ञापित पदी हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
 4. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में रद्दित (Debar) यित्ये गये आवेदक जिनके रद्दित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
 5. बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अन्यार्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना को आधार पर यह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
 6. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियों बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की रिप्टियों में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय ने प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, रैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सीनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अन्यार्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यार्थी की होगी।
 7. अन्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
 8. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश
- फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**
- a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम 01 माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। गोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
 - c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 - d. फोटो में आवेदक का घेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
 - e. फोटो में आवेदक का घेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोकी रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 - f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन यहमें पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 - g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का अस्त्र नहीं होना चाहिए।
 - h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज $3.5\text{ cm} \times 4.5\text{ cm}$ होनी चाहिए।
 - i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240×320 एवं अधिकतम 480×640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
 - j. फाईल का जाकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।

- k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपरिधित पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा समीक्षार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
9. **हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा—निर्देश :-**
- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी कॉर्णर्ड के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
 - हस्ताक्षर के बल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर नान्य नहीं होगा।
 - आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
 - परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपरिधित पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 - केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
 - जेपीईजी (JPEG) को लिए न्यूनतम विक्सेल 280×80 से अधिकतम विक्सेल 560×160 होना चाहिए।
 - फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
 - हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 - मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:-

- परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की ऐबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी(Answer Key) बोर्ड की ऐबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आगंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जगा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आगंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
- परीक्षा देने के लिये आते सभी अभ्यर्थी ऐल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैप्प/रेल्वे स्टेशन और रास्तों ने टौलफोल, लूटपाट, हुडवंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली त्याही का पायदर्शी बालपैन, 25×25 सेमी. का एक फोटो(01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ही-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा शकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीनक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
- जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के दिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साथनों की रोकथाम ऐम्बूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साथनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्भवित है।
- सभी परीक्षार्थी के लिये बोर्ड का ब्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की ऐबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

17. **ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया—बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र रखीकर नहीं किया जायेगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2023 द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर शेष का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करना होगा इससे उसे स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में भरे गये आरक्षण श्रेणी/दिव्यांगजन श्रेणी/मूल निवास में संशोधन करने का दिक्कत उपलब्ध हो जायेगा, जिसे उपयोग ने लेकर वह वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-**
- यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्रारंभ की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने OTR के समय दर्ज की है। शेष प्रविशिटियों में संशोधन किया जा सकेगा। ईकानिक योगदान में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में ही

संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात् शैक्षणिक योग्यता के कॉलन में बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम, रोल नं., उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 27.07.2023 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन के लिये One Time Registration (OTR) ने शैक्षणिक योग्यता में केवल गात्र एकाधारीय संशोधन की अनुमति दी गयी है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने OTR में शैक्षणिक योग्यता में बाहित संशोधन कर सकें। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें। यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाईन आवेदन सबमिट कर सकता है तो ऐसी विधि में अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने हेतु पहले OTR पेज पर स्वयं वी शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करना होगा इससे उस शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का विकल्प स्वयं के ऑनलाईन आवेदन में ऑनलाईन आवेदन को संशोधित करने की अवधि के दौरानउपलब्ध रहेगा, जिसे उपयोग में लेकर वह शैक्षणिक योग्यता में बाहित संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

- यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह विस्तीर्ण कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे आपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृष्ठक से बोर्ड की वेबसाईट के नाम्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा।
- इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी विधि भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

18. ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया:—बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र शारित नहीं होने के उपरान्त वी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है तो ऐसे आवेदक ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस के भीतरSSO Portal पर Loginकर Recruitment Portalका चयन कर My Recuitment Sectionके अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के सम्बन्ध उपलब्ध Withdraw Buttonपर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकें। विज्ञापन के अनुसार बाहित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

19. श्रुत लेखन की सुविधा:—सामान्यतया: सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind)) सूख्यनुस्खी एवं अल्पदृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या अंगुलियाँ नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, जो परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अधानक दुष्टिनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवैश पत्र प्राप्त होते ही बाहित विविस्ता प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सुनित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीकारकों समझ उपस्थित होकर याहित विविस्ता प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित एक प्रतिकेन्द्रीकृतिको भी दी जायेगी।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :—

- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरें।
 - अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्त हेतु पात्र है।
 - आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को साजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
 - वार्षिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन भरने वी अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।
- वार्षिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है—

"यदि किन्हीं कारणों से अन्यर्थी द्वारा आवेदन की अनिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अनिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अन्यर्थी से इस आवाय का एक शपथ-पत्र लिखा जावें कि वह आवेदन की अनिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्ता की जा सकेगी।"

v. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु किनीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर नान्यता दी जायेगी।
2. किनीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किनीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किनीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

vi. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सकाम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

vii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सकाम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम य निवास के आधार पर सकाम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पिता के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

viii. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अन्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ110/आ.क.व/डीडीपीसी/सान्यांवि/19/28046 दिनांक 08.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।

ix. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परिव्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

x. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अनिम निर्धारित दिनांक तक का सकाम रत्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

xi. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सकाम रत्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अनिम निर्धारित दिनांक तक का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों का लाभ देय होगा।

xii. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अन्यर्थी को पात्र पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पिता के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/सहाय जिसमें उसके पिता का नाम अकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्ये का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पिता के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

xiii. परिव्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अन्यर्थी के द्वारा आवेदन करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

xiv. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना याचनीय है।

xv. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परिव्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अनिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परिव्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

xvi. अन्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें वरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अकित होना आवश्यक होगा। अन्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

xvii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आवरण संबंधी मुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/बाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता या निर्धारण किया जायेगा।

xviii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकल्प संबंधी विकल्प प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णता उपयुक्त है।

xix. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपकरणों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोजित का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपकरणों में कर्मचार है, उन्हें अपने नियोजित को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण—पत्र के अन्याय में अभ्यर्थी को पूर्ण सेवा से त्याग—पत्र देखर नव—नियुक्ति के समय त्याग—पत्र द्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

xx. उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन वर्गी अन्तिम नियारित दिनांक तक के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अतिम नियारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लान देय नहीं होगा।

xxi. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की रिक्ति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

21. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही—सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीनक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यता पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीनक जो भी उक्त समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा नियारित “Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination” तथा “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016” के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यक 6) के प्रावधानों के लहर यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न—पत्र का कब्जा या प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर काशवास एवं रुपये 1,00,000/- (अधरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त ऊन्य व्यक्ति द्वारा गद्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या तुष्टिरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के काशवास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अधरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस कठोर तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवरित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

22. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षक (महिला) (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न प्रकार से होगी :-

परीक्षा की स्कीम

प्रथम खण्ड				3 Hour
क्र.सं.	विषय	अंक-100	समय	
(क) भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान				
1	सामान्य हिन्दी	50		
2	सामान्य अंग्रेजी	25		
3	शक्ति एवं सामान्य तर्क शक्ति	25		
द्वितीय खण्ड				
क्र.सं.	विषय	अंक-100		
(क) पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं		65		
(ख) शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा		35		
कुल अंक		200		

Note:-

1. The paper will be Graduation Standard (with special focus on nutrition, health, early childcare and education).
2. The paper will be Objective type (Multiple Choice).
3. The paper will be No Negative Marking.

पाठ्यक्रम (Syllabus)

प्रथम-खण्ड

क्र.सं.	विषय	उपविषय
(क)	भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान	
1	सामान्य हिन्दी	<ul style="list-style-type: none"> • संधि और संविधि विच्छेद। • सामासिक पदों की रचना और समास-विग्रह। • उपसर्ग एवं प्रत्यय। • पर्यायवाची शब्द। • विलोम शब्द। • अनेकार्थक शब्द। • शब्द - शुद्धि : अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण। • वाक्य - शुद्धि : अशुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। • वाच्य : कृत्वाच्य, कर्मवाच्य और नावदाच्य प्रयोग, • किंया : सकर्मक, आकर्मक और पूर्वकालिक किंयाएं, • वाक्यांश के लिए एक सार्वकाश शब्द। • मुहायरे और लोकोक्तियाँ। • अंग्रेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द।
2	General English	<ul style="list-style-type: none"> • Tenses/ Sequence of Tenses, • Voice : Active and Passive, • Narration: Direct and Indirect, • Transformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and vice-versa, • Use of Articles and Determiners, • Use of Prepositions, • Translation of Simple Sentences from Hindi to English and vice-

		<p>versa,</p> <ul style="list-style-type: none"> Correction of Sentences including Subject, Verb Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used, Glossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions), Synonyms, Antonyms, One word substitution, Forming new words by using prefixes and suffixes.
3	गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति	<ul style="list-style-type: none"> गणितः—अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, बट्टा, साधारण एवं अकायुद्धि व्याज। तार्किक दक्षता:—कथन एवं मान्यताएँ, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति:—दिशा बोध, आयु संबंधी शंकाएँ। मानसिक योग्यता:— बेमेल छांटना, कृदाचावन (कोडिंग—डीकोडिंग) संबंधी।

द्वितीय-खण्ड

क्र.सं.	विषय	उपविषय
(क)	पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएँ।	
1	पोषण	संतुलित आहार, मेंढो एवं माइक्रो-न्यूट्रिएट्स (वैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म, खनिज तत्त्व और—आयोडिन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन्स तथा कैल्सियम) वी कमी से होने वाली विनाशिया एवं उनकी रोकथाम।
2	जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व	किशोशब्दस्था, गर्भावस्था, घाती मालाएँ, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क।
3	गर्भायरुद्धा में वजन वी निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भायरुद्धा में खलरो से बचाय, गर्भायरुद्धा में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच।	
4	टीकाकरण	राष्ट्रीय टीकाकरण के अन्तर्गत लगाने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव।
5	स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम	एनआरएचएम एवं आईसीडीएस अन्तर्गत संचालित योजनाओं के साथ समेकित बाल विकास सेवाओं का परिवर्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत प्रदर्शन सेवाएँ एवं संचालित योजनाएँ।
6	कुपोषण	जन्म के पूर्व — कारण एवं संरक्षण के उपाय जन्म के बाद — कारण एवं संरक्षण के उपाय
7	सामान्य विनाशियों की जानकारी	दस्ता, उल्टी, आंखों एवं नाल का संकरण, खसरा, गलघोट, डिटनेस, कालीखांसी, टीवी, निमोनिया।
(घ)	शिशु की प्रारम्भिक देखभाल एवं शिक्षा	
1	बाल विकास का परिचय	बुनियादी अवधारणाएँ, वृद्धि एवं विकास के परिलक्षित करने वाले शिद्धांत, विकास के गहत्यपूर्ण घरण, अनुवाशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रि-नेटल विकास, प्रथम तीन वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास।
2	शाला पूर्व शिक्षा परिवर्य	शाला पूर्व शिक्षा—अवधारणा एवं जांचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएँ, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास: संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सीन्डर्स बोध का विकास।

23. बोर्ड की वेबसाईट:—अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in एवं

www.rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गनिर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित रवागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरध्वाध नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार संबंधी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।



(मैजर जनरल आलोक राज)
अध्यक्ष